-RL/DC-AKG/1Y/3.00

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (CONTD.): Just now, the Member while moving his Bill mentioned about the Soyabean milk. Wherever we go, in restaurants or in hotels, we are not sure about the quality of milk and people are worried purchasing the packaged milk. They are thoroughly convinced that these are not at all healthy but, as children and elders have to be fed with, they are being given these adulterated milk products. We have to have a holistic view towards total cow population. Cow protection should encompass the protection of farmers who are having cows. We need to look at that angle and a blind authority, without any role to really execute on the ground, is not going to help in any way other than highlighting and making some political statements. Let the *Kamadhenu*, let the cow does not become a political tool, political animal. All human beings are already political animals but the cow is already getting into problems due to mechanization of milk-sucking, and excessive extraction of milk which is creating ill-health to it. Let us focus about the health of cow instead of diverting it to a political agenda. I plead the Union Government to look at the farmers' issues, who are having problems in cow rearing and support them so that they can safely continue to sustain cow population in our rural milieu.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ramkumar Verma.

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान) : माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी के सांसद, आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि देश के सामने आज से नहीं, बल्कि आदि काल से और बहुत समय से यह प्रश्न है कि गाय की रक्षा कैसे हो, जो पशु धन के रूप में भारतीय संस्कृति का एक अंग है, उसमें इसका समावेश है, उसको माँ के रूप में माना गया है, गौ माता के रूप में माना गया है और बहुत ही उपयोगी माना गया है। हमारे इस भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही, जब हम स्वतंत्र नहीं थे और स्वतंत्रता के बाद भी हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग ने गाय को बहुत महत्व दिया है, लेकिन मैं दुर्भाग्य यह कहूँ कि कुछ शब्द हम भारतीयों के जीवन में इस तरह आ गए हैं कि वे संवेदनशील हो गए हैं। समस्या हमारे सामने दिखती है, उसका निवारण होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ - 'दलित', 'गाय'। जैसे 'दलित' शब्द दया का पात्र हो गया है, उसी तरह 'गाय' भी आज दया की पात्र हो गई है। जब देश आजाद नहीं था, जैसे मैं कहूँ कि आध्यात्मिक काल और भक्ति काल से लेकर जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, तब भी ये मुद्दे थे कि समाज में ऐसा वर्ग है, जिसे सामाजिक न्याय चाहिए। सामाजिक न्याय की बात करते-करते देश आजाद हुआ। उस समय सामाजिक न्याय नहीं मिला। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि पशु धन हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसमें गाय का मुद्दा अति महत्वपूर्ण रहा। वही प्रश्न आज फिर हमारे सामने है। हमारे सांसद महोदय

ने एक विधेयक के रूप में आज इसे प्रस्तुत किया है कि ऐसा कानून बने, जिससे गाय को protection मिले। निश्चित ही यह बहुत ही वाजिब बात है और उन्होंने संविधान के प्रावधानों के तहत, सर आप मुझे थोड़ा सा समय, लगभग दस मिनट दे दीजिएगा। ...(व्यवधान)... उपसभापति महोदय मेरी ओर देख रहे थे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are four speakers. You can take eight minutes.

(Followed by KR/1Z)

RPM-KR/1Z/3.05

श्री रामकुमार वर्मा (क्रमागत): माननीय उपसभापति जी, यदि हम संविधान के Chapter 3 और 4, Fundamental Rights में देखें और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, तो जब संविधान देश में 1950 में लागू हुआ, तब और उससे पहले 26 नवंबर, 1949 को, संविधान निर्माता और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन और विशेष रूप से जिन्होंने संविधान बनाने में मेहनत की, जिन्हें इस देश ने और इस संसद ने संविधान निर्माता बनाया है, डा. बी.आर. अम्बेडकर जी ने, उन्होंने उस समय फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्वों की परिकल्पना ही नहीं की, बल्कि तथ्य यह था कि आने वाले समय में पूरे भारत में इनकी जो समस्याएं हैं, विशेष रूप से दलित, पिछड़े, किसान, गरीब और हर वर्ग के लिए उसमें प्रोविजन्स और आर्टिकल्स के तहत उल्लेख किया है। उसमें पशुधन का भी उल्लेख किया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 70 वर्ष की आजादी के बाद, आज भी भारत के संविधान में हम प्रिएम्बल से लेकर आर्टिकल 46, 330, 332, 338, 341, 342 और आगे तक देखें, तो दलितों को जो सम्मान मिलना

चाहिए था, पीड़ित को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला, फिर चाहे सामाजिक न्याय की बात हो या आर्थिक दृष्टि से समानता की बात हो। आज भी इस महत्वपूर्ण विषय पर, दोनों सदनों में बहस होती है, डिबेट होती है, विभिन्न तरह के सुझाव भी दिए जाते हैं और प्रत्येक पार्टी कमिटमेंट के साथ यह कहती है कि इन वर्गों के उत्थान के लिए हम कटिबद्ध हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ।

महोदय, संविधान के आर्टिकल्स और प्रावधानों की स्पष्टता के बावजूद, उन्हें लागू करना मेंडेटरी होने के बावजूद, तत्कालीन सरकार ने उन्हें लागू नहीं किया। मैं नहीं समझता कि संविधान में इतनी स्पष्टता के होते हुए उन वर्गों के कल्याण के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत थी, लेकिन पिछली सरकारों ने, कानूनी प्रावधान और उनकी स्पष्टता के बाद भी उन्हें लागू नहीं किया। मानव जाति और मानव धर्म, जिनमें करुणा है, दया है, सबल को निर्बल की सहायता करनी है, यह हमारे संविधान में समावेश है, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उन्हें कोई सहायता नहीं मिली।

महोदय, मैं आज यह कहना चाहता हूं कि गाय भी आज बेचारी हो गई है। गाय की हालत यह है कि भारतीय संस्कृति में जिस पशुधन का समावेश हो, प्रत्येक जीव के साथ उसका संबंध हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए आज गौ संरक्षण विधेयक, 2017 कानून बनाने के लिए बिल लाया गया है। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? हम मानते हैं और सभी कह रहे हैं कि गाय धन, न केवल भारतवासियों के लिए, बल्कि विश्व के लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, इसमें दो रायें नहीं हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज इस विधेयक को पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे देश के जो गरीब और पिछड़े थे, उनके उत्थान

के लिए संविधान में संवैधानिक प्रावधान होते हुए भी, आजादी के बाद और वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के बाद से अब तक क्या हम दावा कर सकते हैं कि उन्हें इन कानूनों का लाभ मिला? मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें इनका लाभ नहीं मिला।

महोदय, आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि देश के जो दलित, पीड़ित और गरीब वर्ग, जो वर्षों से समाज में दबे-कुचले रहे, उन्हें सम्मान मिलेगा और आर्थिक दृष्टि से वे सक्षम होंगे तथा आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक समानता भी मिलेगी, लेकिन वह नहीं हुआ और संवैधानिक प्रावधानों को भी उलझाकर, कोर्ट-कचहरियों में जाकर उन्हें लाभ से वंचित रखा गया।

महोदय, हमारी पार्टी आने के बाद, पार्टी के नेतृत्व ने देश के गरीब, पिछड़े, दलित और किसानों की भलाई के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारम्भ की हैं। इसके कारण हमारे देश की कुछ पार्टियों को ऐसा लगा कि देश से गरीबी और पिछड़ेपन का इश्यू खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इसे राजनैतिक इश्यू बनाया। इसी प्रकार से पशुधन के बारे में भी कहा गया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Please conclude.

(2 ए/पीएसवी पर आगे)

PSV-KS/2A/3.10

श्री रामकुमार वर्मा (क्रमागत): सर, मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)... आदरणीय उपसभापति जी, मैं इस विषय पर आता हूँ और इस विषय के साथ मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि संविधान के जो भी संबंधित अनुच्छेद हैं, oppressed classes के लिए, अगर हमने उसको 9th Schedule में डाल दिया होता, अगर उसको किसी

कानून के तहत, IPC के तहत offensive मानते कि उसका वायलेशन होगा, तो उसके लिए दंड मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि यह जो दलित समाज है, ...(समय की घंटी)... दलित-दलित के नाम से उसको जो अपमानित किया जाता है, हम उसको प्रगतिशील समाज नहीं कह पा रहे हैं, जो सुनता है, उसको हीन भावना आती है, तो वह दूर हो जाता। इसी तरह से पशुधन के अन्दर..

श्री उपसभापति: आप अभी कन्क्लूड कीजिए।

श्री रामकुमार वर्मा: ठीक है, सर। मैं 5-7 मिनट में जल्दी करता हूँ। ...(व्यवधान)... सर, पशुधन के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। यह कुछ संवेदना का विषय है। मैं चूँकि गाँव के उन परिवारों से आता हूँ, जिन्होंने गोधन भी देखा है और जिसके अन्दर देखते हैं कि गरीब और पिछड़े लोग जीवनयापन किस तरह से करते हैं, उनकी मानसिकता क्या है और किस तरह का जीवन है, उसको भी देखते हैं और लोग किस तरह से उसको राजनीति का पहलू बना लेते हैं। इसी तरह से गाय का धन हमें मालूम है। गाय इतना पवित्र धन है, जिसे हम कहते हैं कि इसे धर्म से जोड़ा गया। इसको हमारे भारत देश के अन्दर, हर वर्ग, चाहे वह मुस्लिम है, हिन्दू है, ईसाई है, जैन है या बौद्ध है, उसने गाय को शुरू से बहुत ज्यादा महत्व दिया है। इसका कारण यह था कि गाय एक ऐसा पशु है, जिसके बारे में सांसद महोदय ने जो विधेयक पेश किया है, उसमें भी उल्लेख किया है, स्पष्ट किया है। उसके प्रत्येक अंग का महत्व है, प्रत्येक उस चीज़ का महत्व है, जो उससे हमें प्राप्त होता है। विशेष रूप से अगर हम दूध की बात करें, ...(समय की घंटी)... तो गाँव के लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं और गाँव के बच्चे पहले ज्यादा बीमार नहीं होते थे। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री रामकुमार वर्मा: इसमें यह था कि गाँव का ...(व्यवधान)... सर, सिर्फ पाँच मिनट के लिए ...(व्यवधान)... प्लीज़ पाँच मिनट।

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं।

श्री रामकुमार वर्मा: सर, हमारी पार्टी का समय अभी है। ...(व्यवधान)... अभी पाँच मिनट दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. There are four speakers. Sit down. ...(Interruptions)... बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री रामकुमार वर्मा: सर, एक मिनट। ...(व्यवधान)... प्लीज़। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Javed Ali Khan. ...(Interruptions)... You sit down now.

श्री रामकुमार वर्मा: सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि गाय के लिए जिस तरह का ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. There are four speakers. Shri Javed Ali Khan. ...(Interruptions)... You sit down now. ...(Interruptions)... Shri Javed Ali Khan. ...(Interruptions)...

SHRI JAVED ALI KHAN: Sir, I am ready. He should, first, stop; then only, I will start. ...(Interruptions)...

श्री उपसभापति: नहीं, अब आप बैठिए।...(व्यवधान)...

श्री रामकुमार वर्मा: *

SHRI JAVED ALI KHAN: He should, first, stop; then only, I will start. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That will not go on record. Sit down. ...(Interruptions)...

श्री रामकुमार वर्मा: *

श्री उपसभापति: ठीक है। अब आप बैठिए। ...(व्यवधान)... बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)... That is not going on record. Sit down. ...(Interruptions)... जावेद जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री जावेद अली खान: माननीय उपसभापति जी ...(व्यवधान)...

جناب جاوید علی خان : مائنے اپ سبھا پتی جی ---(مداخلت)---

श्री रामकुमार वर्मा: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. आप बैठिए। ...(व्यवधान)... जावेद अली खान, आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री जावेद अली खान: आप उनका भाव पूरा सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

جناب جاوید علی خان : آپ ان کا بھاؤ پورا سن لیجئے ---(مداخلت)---

श्री रामकुमार वर्मा: * (समाप्त)

*** Not recorded**

श्री उपसभापति: आप क्या बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)... बैठिए, बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री जावेद अली खान: माननीय उपसभापति जी ...(व्यवधान)...

جناب جاوید علی خان : مائنے اپ سبھا پتی جی ---(مداخلت)---

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान)... Sit down please. ...(Interruptions)... आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: वर्मा जी, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री नीरज शेखर: आप दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। प्लीज़। हम लोग भी बोलना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: एक सेकंड। ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान)... Your party has four speakers. आप अकेले स्पीकर नहीं है। चार स्पीकर्स हैं। इसलिए, अब आप बैठिए।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर, जो स्वामी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सर, यह बिल कितना महत्वपूर्ण है और हमारे देश में गाय, जिसकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है, वह कितनी महत्वपूर्ण है और गाय की उपयोगिता हमारे देश में कितनी अधिक है, इस बात पर स्वामी जी ने बिल पेश करते हुए प्रकाश डाला। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूँगा। वैसे भी आपने मुझे कम समय ही दिया है। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि गाय को उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता होने के साथ ही साथ, हमारे देश के अन्दर उसका एक राजनीतिक महत्व भी आज़ादी के बाद कायम कर दिया गया है। समय-समय पर गाय का, जैसा वह उपयोगी पशु है, उसके साथ ही

साथ उसका दुरुपयोग भी अपने राजनीतिक निहित स्वार्थों के लिए हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल, विशेष कर कुछ ...(व्यवधान)... नहीं, कई हैं-- और उनसे जुड़े हुए संगठन करते रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि गाय निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पशु है। इसका और इसके नाम का रत्ती-भर भी दुरुपयोग हिन्दुस्तान के अन्दर किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए नहीं होना चाहिए।

(2बी/वीएनके पर जारी)

VNK-RSS/2B/3.15

श्री जावेद अली खान (क्रमागत) : यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बिल पेश किया है, उसको सरकार को मान्यता देनी चाहिए।

सर, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि मैं गाय के मूत्र की पवित्रता और उसके गोबर की गुणवत्ता पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यह शक्ति गाय की है कि जो लोग बाबर की औलादों से बदला लेने की बात करते हैं, आज सदन के अंदर उन्होंने बाबर और बहादुर शाह ज़फ़र को भी प्रेज़ किया, इसलिए मैं गाय को सलाम करता हूँ।

सर, गाय मेरी मान्यता है, वह जितनी उपयोगी है और समाज के सभी वर्गों के लोग गाय को बरसों-बरस से और मेरे ख्याल से तो जब से मानव जाति का इतिहास है, तब से मानव जाति गाय के संपर्क में रहा है और गाय का लाभ लेता रहा है, इसलिए हमारे देश में गाय को तत्काल राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गाय अति महत्वपूर्ण पशु है और उसे तो पशु कहना भी उचित नहीं है, चूंकि हमारे साथियों की और हमारे समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाएं उससे जुड़ी हैं, इसलिए उसके लिए दूसरा शब्द क्या हो सकता है, यह स्वामी जी से जानना चाहूंगा। गाय को

पशु के अलावा प्राणी कह सकते हैं। इस प्राणी को राष्ट्रीय प्राणी का दर्जा दिया जाना चाहिए।

सर, मैं इसके साथ ही यह कहना चाहता हूँ कि गाय के साथ दुर्व्यवहार होता है। कैसा दुर्व्यवहार होता है? दुर्व्यवहार यह होता है कि उसे गाय के मांस का कारोबार करने वालों के हाथ बेच दिया जाता है। मैं यह चाहता हूँ कि इस बिल के अंदर इस तरह का प्रावधान हो या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे, जिससे ऐसी व्यवस्था हो कि गाय के पालन-पोषण का काम, जन्म से लेकर गाय की मृत्यु तक, व्यक्तियों के हाथ में न दिया जाए, जैसे रेल है, अभी तक वह सार्वजनिक क्षेत्र में है, उसी प्रकार से गाय के पालन को उद्योग का दर्जा दिया जाए और उसको राष्ट्रीयकृत किया जाए। इस प्रकार से सरकार गाय का पालन-पोषण और संरक्षण करे। जब यह हमारी भावनाओं से जुड़ी है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो यह काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गाय को किसी मांस के व्यापारी को बेचता हुआ पाया जाए, आप deterrent की बात करते हैं, भय कायम करने की बात करते हैं, तो यह भी निश्चित कीजिए कि उस गाय के बारे में पूरी तफ्तीश होनी चाहिए कि यह किसके घर में पैदा हुई थी और किसने इसे मांस व्यापारी तक पहुंचाया है। उसको भी सजा देनी चाहिए, सिर्फ मांस भक्षण करने वालों और मांस का व्यापार करने वालों को ही सजा नहीं देनी चाहिए।

सर, मैं तो यहां तक कहता हूँ कि गाय हमारी संस्कृति है और आज हम देखते हैं कि जब हम लोग विदेशियों के साथ संपर्क में आते हैं, हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारे मंत्री जी विदेशी नेताओं के संपर्क में आते हैं, तो विदेशी नेता कितना लिपट-चिपट करके हमारा स्वागत-सत्कार करते हैं। मैंने देखा कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अपने

शासन काल में आए थे, तो वह कई मिनट तक लिपटे रहे, अभी वाले आए, तो वह भी कई मिनट तक लिपटे रहे और अभी आपके इज़राइल वाले आए थे, वह तो हाथ छोड़ने को ही तैयार नहीं थे, वह बिल्कुल लिपटे हुए थे। इनको भी चेतावनी दीजिए कि खबरदार! हमारी संस्कृति से प्यार करते हो, तो हमसे प्यार करो, अगर हमारी भावनाओं से प्यार करते हो, तो हमसे प्यार करो और दुनिया के अंदर जिन देशों में भी गाय भक्षण या गाय के मांस का व्यापार होता है, उनके साथ अपने राजनयिक संबंधों पर विचार कीजिए। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी देश के अंदर भी अगर गाय का भक्षण या गाय के मांस का कारोबार हो रहा है, तो उनके साथ अपने राजनयिक संबंधों पर वह विचार करे। ...(व्यवधान)... हम अपने देश के अंदर तो इंतजाम करेंगे। किस बात के लिए अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती? अगर तुम गाय खाते हो, तो हमारे दुश्मन हो, अगर तुम गाय के मांस का व्यापार करते हो, तो हमारे दुश्मन हो, इसलिए उन देशों के साथ, चाहे वह मुसलमान देश हो, चाहे वह जनवादी देश हो, चाहे वह किसी भी किस्म का देश हो, उनके साथ किसी प्रकार का राजनयिक संबंध नहीं रखेंगे। अगर वह गाय के मांस का कारोबार करेगा या गाय के मांस का भक्षण करेगा, तो हम उनके साथ किसी प्रकार का राजनयिक संबंध नहीं रखेंगे।

(2सी/एनकेआर-केएलएस पर जारी)

NKR-KLS/2C/3.20

श्री जावेद अली खान (क्रमागत): इतनी विलपावर, इतनी political will आज इस सरकार के अंदर होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है, स्वामी जी, मैं बता रहा हूं। आप थोड़े से सख्त हो जाइए, क्योंकि जबसे हमने होश सम्भाला है, जब हम अपनी नाक भी साफ

करना नहीं जानते थे, तब से हमने आपकी बहादुरी के किस्से सुने हैं। इस सरकार को आप ही मज़बूर कर सकते हैं, ये सब काम करने के लिए और यह निश्चित करिए ..(समय की घंटी).. आप निश्चित करिए कि गाय का कोई दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, न समाज के किसी वर्ग के साथ, न किसी राजनैतिक दल के साथ।

جناب جاوید علی خان (اتّر پردیش) : ماٹنے اپ سبھا پتی جی، آپ نے اس اہم بل پر، جو سوامی جی کے ذریعے پیش کیا گیا ہے، مجھے بولنے کا موقع دیا ہے، اس کے لئے آپ کا دھنیواد۔

سر، یہ بل کتنا اہم ہے اور ہمارے دیش میں گائیں، جس کی دھارمک اور سانسکرتک مانیتہ ہے، وہ کتنی اہم ہے اور گائیں کی اپیوگتا ہمارے دیش میں کتنی زیادہ ہے، اس بات پر سوامی جی نے بل پیش کرتے ہوئے روشنی ڈالی۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ویسے بھی آپ نے مجھے کم وقت ہی دیا ہے۔ پہلی بات تو یمں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گائیں کو اس کی دھارمک اور سانسکرتک مانیتہ ہونے کے ساتھہ ہی ساتھہ، ہمارے دیش کے اندر اس کا ایک راجنیتک مہتّو بھی آزادی کے بعد قائم کر دیا گیا ہے۔ وقت وقت پر گائیں کا، جیسا یہ اپیوگی پشو ہے، اس کے ساتھہ ہی ساتھہ اس کا درپیوگ بھی اپنے راجنیتک نہت سوارتھوں کے لئے ہمارے دیش میں کچھہ راجنیتک دل، خاص کر کچھہ ---(مداخلت)--- نہیں، کئ ہیں، اور ان سے جڑے ہوئے سنگٹھن کرتے رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گائیں یقینی طور سے ایک اہم جانور ہے۔ اس کا اور اس کے نام کا رتّی-بھر بھی درپیوگ ہندوستان کے اندر کسی راجنیتک ادّیشئے کی پورتی کرنے کے لئے نہیں ہونا چاہئے۔ یہ ویوستھا سرکار کو کرنی چاہئیے اور سبرامنیم سوامی جی نے جو بل پیش کیا ہے، اس کو سرکار کو مانیتا دینی چاہیئے۔

سر، میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں گائے کی مُوتر کی پوترتا اور اس کے گوبر کی گنوتا پر نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ شکتی گائے کی ہے کہ جو لوگ بابر کی اولادوں سے بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، آج سدن کے اندر انہوں نے بابر اور بہادرشاہ ظفر کو بھی پریز کیا، اس لیے میں گائے کو سلام کرتا ہوں۔

سر، گائے میری مانیتا ہے، وہ جتنی اُپیوگی ہے اور سماج کے سبھی طبقوں کےلوگ گائے کو برسوں برس سے اور میرے خیال سے تو جب سے مانوجاتی کا اتیہاس ہے، تب سے مانوجاتی گائے کے سمپرک میں رہا ہے اور گائے کا لابھ لیتا رہا ہے، اس

لیے ہمارے دیش میں گائے کو تتکال راشٹریہ پشو گھوشت کرنا چاہیئے۔ اسمیں کوئی سندیہ نہیں ہے کہ گائے اتی مہتوپورن پشو ہے اور اسے تو پشو کہنا بھی اُچت نہیں ہے، چونکہ ہمارے ساتھیوں کی اور ہمارے سماج کے ایک بڑے طبقے کی بھاؤنائیں اس سے جڑی ہیں، اس لیے اس کے لیے دوسرا لفظ کیا ہوسکتا ہے، یہ سوامی جی سے جاننا چاہوں گا۔ گائے کو پشو کے علاوہ ِرانی کہہ سکتے ہیں۔ اس پرانی کو راشٹریہ ِرانی کا درجہ دیا جانا چاہیئے۔

سر، میں اس کے ساتھ ہی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گائے کے ساتھ دُر ویوہار ہوتا ہے؟ دُرویوہار یہ ہوتا ہے کہ اسے گائے کے ماس کا کاروبار کرنے والوں کے ہاتھ بیچ دیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بل کے اندر اس طرح کا پراؤدھان ہو یہ سرکار کوئی ایسی ویوستھا کرے، جس سے ایسی ویوستھا ہو کہ گائے کے پالن پوشن کا کام، جنم سے لیکر گائے کی موت تک، ویکتیوں کے ہاتھ میں نہ دیا جائے، جیسے ریل ہے، ابھی تک وہ ساروجنِک شیتر میں ہے، اسی پرکار سے گائے کے پالن کو ادیوگ کا درجہ دیا جائے اور اس کو راشٹریکرت کیا جائے۔ اس پرکار سے سرکار گائے کا پالن پوشن اور سنرکشن کرے۔ جب یہ ہمارے بھاؤناؤں سے جڑی ہے، ہماری سنسکرتی سے جڑی ہوئی ہے، تو یہ کام کرنا چاہیئے۔ اگر کوئی ویکتی گائے کو کسی مانس کے ویاپاری کو بیچتا ہوا پایا جائے، آپ deterrent کی بات کرتے ہیں، بھئے قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی نِشچت کیجیئے کہ اس گائے کے بارے میں پوری تفتیش ہونی چاہیئے کہ یہ کس کے گھر میں پیدا ہوئی تھی اور کس نے اسے ماس ویاپاری تک پہنچایا ہے۔ اس کو بھی سزا دینی چاہیئے، صرف مانس بھکشن کرنے والوں اور ماس کا ویاپار کرنے والوں کو ہی سزا نہیں دینی چاہیئے۔

سر، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ گائی ہماری سنسکرتی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ ودیشیوں کے ساتھ سمپرک میں آتے ہیں، ہمارے پردھان منتری جی، ہمارے منتری جی، ودیشی نیتاؤں کے سمپرک میں آتے ہیں، تو ودیشی نیتا کتنا لِپٹ چِپٹ

کر کے ہمارا سواگت ستکار کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب امریکہ کے سابق راشٹرپتی اپنے شاسن کال میں آئے تھے، تو وہ کئی منٹ تک لپٹے رہے، ابھی والے آئے، تو وہ بھی کئ منٹ تک لپٹے رہے اور ابھی آپ کے اسرائیل والے آئے تھے، وہ تو ہاتھ چھوڑنے کو ہی تیار نہیں تھے، وہ بلکل لپٹے ہوئے تھے۔ ان کو بھی چیتاؤنی دیجیئے کہ خبردار! ہماری سنسکرتی سے پیار کرتے ہو، توہم سے پیار کرو، اگر ہماری بھاؤناؤں سے پیار کرتے ہو، تو ہم سے پیار کرو اور دنیا کے اندر جن دیشوں میں بھی گائے بھکشن یا گائے کے مانس کا ویاپار ہوتا ہے، ان کے ساتھ اپنے راجنیتک سمبندھوں پر وچار کیجیئے۔ میں سرکار سے یہ مانگ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کسی دیش کے اندر بھی اگر گائے کا بھکشن یا گائے کے مانس کا کاروبار ہورہا ہے، تو ان کے ساتھ اپنے راجنیتک سمبندھوں پر وہ وچار کرے۔ ---(مداخلت)--- ہم اپنے دیش کے اندر تو انتظام کریں گے۔ کس بات کے لیے امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی؟ اگر تم گائے کھاتے ہو، تو ہمارے دشمن ہو، اگر تم گائے کے مانس کا ویاپار کرتے ہو توہمارے دشمن ہو، اس لیئے ان دیشوں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان دیش ہو، چاہے وہ جنوادی دیش ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کا دیش ہو۔ ان کے ساتھ کسی پرکار کا راجنیتک سمبندھ نہیں رکھیں گے۔ اگر وہ گائے کے ماس کا کاروبار کریگا یا گائے کے مانسکا بھکشن کریگا تو ہم ان کے ساتھ کسی پرکار کا راجنیتک سمبند نہیں رکھیں گے۔

اتنی ول-پاور، اتنی پولیٹکل-ول آج اس سرکار کے اندر ہونی چاہئے۔ ایسا ہو سکتا ہے، سوامی جی، میں بتا رہا ہوں۔ آپ تھوڑے سے سخت ہو جائیے، کیوں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب ہم اپنی ناک بھی صاف کرنا نہیں جانتے تھے، تب سے ہم نے آپ کی بہادری کے قصے سنے ہیں۔ اس سرکار کو آپ ہی مجبور کر سکتے ہیں، یہ سب کام کرنے کے لئے اور یہ نشچت کرئیے ---(وقت کی گھنٹی)--- آپ نشچت کرئیے کہ گائیں کا کوئی درپیوگ نہیں کیا جائے گا، نہ سماج کے کسی طبقے کے ساتھہ، نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھہ۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. …(Interruptions)… Mr. Khan, your time is over. … (Interruptions)… Your time is over. … (Interruptions)…

SHRI JAVED ALI KHAN : Lastly and my last line. आप उन पर भी गौर कीजिए, जब आप या सरकार कहीं गाय के बारे में सही बात कहती है, कभी यह विषय चर्चा में आता है तो आपकी ही कतारों से, मंत्रिमंडल तक से, गाय के मांस की उपयोगिता बताने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। ..(व्यवधान).. आपकी ही पार्टियों के यूनिट खड़े हो जाते हैं गाय के मांस की कसम खाने के लिए, आपके ही मुख्य मंत्री गाय का दूसरे देशों से आयात करने की बात करते हैं, ताकि गाय की कमी न होने पाए। ऐसे लोगों को भी आप उनके पदों से हटाइए और भाजपा के अंदर एक opinion बनवाइए कि इस तरीके के लोग कम-से-कम देश में रहें, न रहें, आपकी पार्टी में तो नहीं रहने चाहिए। ऐसे लोगों को निकालकर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। हम आपके साथ हैं। गाय का दुरुपयोग मत होने दीजिए। गाय हमारा राष्ट्रीय प्राणी है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

جناب جاوید علی خان : لاسٹلی اینڈ مائی لاسٹ لائن۔ آپ ان پر بھی غور کیجئے، جب آپ یا سرکار کہیں گائیں کے بارے میں صحیح بات کہتی ہے، کبھی یہ وشئے چرچا میں آتا ہے تو آپ کی ہی قطاروں سے، منتری منڈل تک سے، گائیں کے مانس کی اپیوگتا بتانے کے لئے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ---(مداخلت)--- آپ کی ہی پارٹیوں کے یونٹ کھڑے ہو جاتے ہیں گائیں کے مانس کی قسم کھانے کے لئے، آپ کے ہی مکھیہ منتری گائیں کا دوسرے دیشوں سے آیات کرنے کی بات کرتے ہیں، تاکہ گائیں کی کمی نہ ہونے پائے۔ ایسے لوگوں کی بھی آپ ان کے عہدوں سے ہٹائیے اور بھاجپا کے اندر ایک اوپینئن بنوائیے کہ کس طریقے کے لوگ کم سے کم دیش میں رہیں، آپ کی

پارٹی میں تو نہیں رہنے چاہئیں۔ ایسے لوگوں کو نکال کر باہر کا راستہ دکھانا چاہئے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ گائیں کا درپیوگ مت ہونے دیجئے۔ گائیں ہمارا راشٹریہ پرانی ہے، بہت بہت دھنیواد۔

(ختم شد)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, that is all. …(Interruptions)… Shri D. Raja. …(Interruptions)… Mr. D. Raja, do you want to speak? …(Interruptions)..

रेल मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : महोदय, माननीय सदस्य इतने गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय को हंसी-मज़ाक का विषय बना रहे हैं।..(व्यवधान).. इतने गम्भीर विषय को हंसी-मज़ाक में convert कर रहे हैं।..(व्यवधान)..

श्री नीरज शेखर : मंत्री जी, क्या बात कर रहे हैं! ..(व्यवधान).. मंत्री जी को कुछ पता नहीं है। ..(व्यवधान).. जब इन्हें पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं?..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Neeraj Shekhar, please go back to your seat. …(Interruptions)…

श्री नीरज शेखर: इनकी टिप्पणी को कार्यवाही से निकाल दीजिए।..(व्यवधान).. मिनिस्टर को कुछ पता ही नहीं है। ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You sit down. …(Interruptions)… I have already allowed you, now sit down. …(Interruptions).. Please go back.

Hon. Members, please. …(Interruptions)… Mr. Neeraj Shekhar, please go back. …(Interruptions)… Hon. Members, the discussion was going on of a very high standard. …(Interruptions)… Why do you want to

stop? …(Interruptions)… Go back to your seats. …(Interruptions)… You go back to your seats, I will take care. …(Interruptions).. Now, Shri D. Raja. …(Interruptions)… I have called Mr. D. Raja. …(Interruptions)… Listen to him. …(Interruptions)…

श्री नीरज शेखर: इनके शब्दों को expunge करा दीजिए, सर। ..(व्यवधान).. इनकी बात को कार्यवाही से expunge कराइए । ..(व्यवधान)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing you. …(Interruptions)… All of you are shouting, I am not able to understand anything. …(Interruptions).. I have only two ears. …(Interruptions)… I am not understanding anything. …(Interruptions)… What is the problem, I don't understand. …(Interruptions)… Mr. Jairam Ramesh, what is the problem?

SHRI JAIRAM RAMESH: The discussion was going on…(Interruptions).. The debate was going on. We were all listening to various points of view. Suddenly the Railway Minister derailed the whole discussion and debate. …(Interruptions)… He made unnecessary and unwarranted comments. …(Interruptions)… You should expunge what he has said. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is nothing unparliamentary; why should I expunge it? …(Interruptions)… The Railway Minister has not said anything unparliamentary. …(Interruptions)… So, there is nothing to expunge.

...(Interruptions)... Now, sit down. ...(Interruptions)... Are you yielding to Mr. Naqvi? ...(Interruptions)... Are you yielding, Mr. D. Raja?

(Followed by 2D/SSS/DS)

SSS-DS/2D/3.25

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : सर, ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you yielding to Shri Naqvi? ...(Interruptions)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : राजा जी, प्लीज़ एक मिनट। ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर ने किसी भी माननीय सदस्य के लिए कुछ नहीं कहा। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I said... ...(Interruptions)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इतने महत्वपूर्ण और सम्वेदनशील मुद्दे पर हम गम्भीरता के साथ चर्चा करें। बस, इतनी-सी बात है। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I said, the Minister did not say anything unparliamentary. I said that. ...(Interruptions)... ठीक है, आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)... Nothing will go on record. ...(Interruptions)... Nothing will go on record except what Shri D. Raja says. ...(Interruptions)...

श्री जावेद अली खान : * * **جناب جاوید علی خان :**

श्री उपसभापति : आप लोग बैठिए।...(व्यवधान)...

श्री जावेद अली खान : * * **جناب جاوید علی خان :**

.....

*** Not recorded.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. This is all unnecessary. The Minister did not say anything unparliamentary. Please sit down. ....(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he said a derogatory word. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want me to adjourn the House? Please sit down. ....(Interruptions)... The Minister made a remark. That is a casual remark. ....(Interruptions)... Please sit down. What are you doing? Can't you see that I am standing here? In Parliamentary practice such remarks will be there. ....(Interruptions)...

SOME HON. MEMBERS: No.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you say 'no', then, your speaker can rebut it. Let your speaker rebut it. He said it, but I don't see anything unparliamentary in it. ....(Interruptions)... No, no;... ....(Interruptions)... Your speaker can rebut it, not him. ....(Interruptions)...

श्री जावेद अली खान : सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...(व्यवधान)...

جناب جاوید علی خان : سر، میرا ایک پوائنٹ آف آرڈر ہے ---(مداخلت)---

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?

श्री जावेद अली खान : सर, सदस्यों के बोलने के बारे में हमारे जो नियम हैं, उनके अंदर यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी सदस्य के बारे में उपहासात्मक, अपमानजनक बात नहीं की जाएगी। ऐसा लिखा हुआ है। मुझे नियम नम्बर exactly याद नहीं है, उसे आप देख सकते हैं। You can refer to that rule.

جناب جاوید علی خان : سر، سدسیوں کے بولنے کے بارے میں ہمارے جو قانون ہیں، ان کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی سدسئے کے بارے میں اپہاساتمک، اپمان-جنک بات نہیں کی جائے گی۔ ایسا لکھا ہوا ہے۔ مجھے قانون نمبر exactly یاد نہیں ہے، اس آپ دیکھہ سکتے ہیں۔ یو کین ریفر ٹو ڈیٹ رول۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I tell you that he did not make fun of anybody.

श्री जावेद अली खान : मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इस गम्भीर बहस को हँसी-मजाक में तब्दील कर दिया गया।...(व्यवधान)...

جناب جاوید علی خان : میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مانّئے منتری جی نے یہ کہا کہ اس گمبھیر بحث کو ہنسی مذاق میں تبدیل کر دیا گیا ---(مداخلت)---

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Javed Ali Khan, he did not make fun of anybody. He only said that it is a serious discussion and you have not taken the serious discussion seriously. That is all what he said. That is his view.

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, ...(व्यवधान)...

श्री जावेद अली खान : सर, मेरे लिए यह अपमानजनक वाक्य है। यानी, मेरी निष्ठा पर ...(व्यवधान)...

جناب جاوید علی خان : سر، میرے لئے یہ اپمان-جنک واقعہ ہے۔ یعنی میری نشٹھا پر ---(مداخلت)---

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Javed Ali Khan, please sit down. I know what he said may not be palatable to most of you. I am only saying, I heard what he said.

SHRI JAVED ALI KHAN: Since he is a Minister, you can delete his words. ...(Interruptions)... अगर वे हमारे बारे में उपहासात्मक टिप्पणी करते हैं, तो आपको उसे रिकॉर्ड से निकालना चाहिए। ...(व्यवधान)... (समाप्त)

اگروہ ہمارے بارے میں اپہاساتمک ٹپّنی کرتے ہیں، تو آپ کو اسے ریکارڈ سے نکالنا چاہئے ----(مداخلت)---

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Let me complete. ....(Interruptions)... Don't you see I am standing? आपको यह मालूम होना चाहिए कि रूल क्या है। When the Chair is on its legs, you should not stand up. This is a fundamental rule. बात केवल इतनी है, he did not name any Member or he did not make fun of any Member. He only said that there was a serious discussion and you took it lightly. That is all. That is his view.

SOME HON. MEMBERS: No, no;... ....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then what is your point? Is there anything unparliamentary in it? ....(Interruptions)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, my point of order is on Rule 235 (8). The heading is "Rules to be observed by Members. Rules to be observed in Council whilst the Council is sitting, a Member — (viii) shall maintain silence

when not speaking in the Council;" Now, as per your call, some Member was speaking. The hon. Minister was not called. Therefore, under this rule, the Minister or any Member who is not supposed to speak should maintain silence when he is not called for speaking. Now, whatever your ruling maybe, I only explained that responsible people should act responsibly. That is all.

(Followed by NBR/2E)

-SSS/NBR-MCM/2E/3.30

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is a suggestion. I agree with that suggestion. However, it is a not a point of order. The suggestion is, when an hon. Member is speaking, other Members should not speak. They should listen or sit in silence. This is accepted. There is no problem. But, however, it is parliamentary practice in all Houses, not just in this House, that such casual comments are made by Members and all such things will be on record. If any Member has an objection to a particular statement or comment, then, when you speak, you have a right to reply to that. The thing here is only that. I am only saying that I cannot expunge it, because there is nothing unparliamentary in that. …(Interruptions)…

श्री नीरज शेखर : सर, जो मैंने बोला....(व्यवधान)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. I am not allowing you. Now, Mr. Raja. …(Interruptions)… A Member from your party has already spoken. Now, Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, I oppose this Bill. I have respect for Mr. Swamy. However, I oppose this Bill. Some common Tamil friends used to refer Mr. Swamy as * I want his intelligence and brilliance to be used for the common good of Indian people and

---

***Expunged as ordered by the Chair.**

the country, instead of polarizing people and disrupting peace and harmony in our society.

Sir, cow is an animal. It is a *saadhu* animal. As my colleague, Mr. Javed has said, it is a National Animal. But, cow is being used as a weapon of hate. It is used as a weapon to kill fellow citizens! Is it proper? Can we do this in the name of either religion or law? I want Mr. Swamy to think over it. I am asking the Government. What is the position of the Government going to be on this? The House would like to know whether the Government agrees with him or the Government rejects his proposal. The Government should make its position clear. Sir, our country, a country which you love, I love and everybody loves, has suffered enough in the name

of cow. What is happening in recent period in the name of cow-vigilantism? What is happening in the name of cow protection? Sir, people are lynched! Dalits are lynched, Muslims are lynched and those who eat beef are being lynched! And, Sir, lynching is going on in this country. We have discussed in this House the issue of mob lynching. I am reminding the hon. Members of this House that we had a serious discussion and debate on mob lynching. Now, this Bill really encourages mob lynching. This Bill will legitimize cow vigilante groups and the so-called cow protection groups and they will take law into their own hands. So, I oppose this Bill.

Sir, Mr. Swamy has referred to Articles 37 and 48. They are under the Directive Principles of State Policy. He himself read out Article 37. It says that it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws. I agree. If Mr. Swamy is so sincere and committed to the Constitution, he should have referred to Article 38 also. It states that the State should secure a social order for promotion of welfare of the people. And, let the Government make law for ensuring justice to all sections of the people. But, Mr. Swamy referred to Article 48. Sir, Article 48 talks about organization of agriculture and animal husbandry. There is no religion. Let us be very clear. The Constitution is very clear. Mr. Swamy referred to the Constituent Assembly Debates and also referred to Dr. Ambedkar. I am asking him

once again to go to the Constituent Assembly Debates and see what Dr. Ambedkar had said. It was organization of agriculture and animal husbandry. What it says, Sir? It says that the State shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle.

(CONTD. BY USY/2F)

USY/2F/3.35

SHRI D. RAJA (CONTD.): If cow stops giving milk, what will you do with cow? Mr. Swamy, somehow, in certain manner, is subtly advising the Finance Minister, Shri Arun Jaitley, that instead of going for the health protection schemes for citizens, he should go for health protection of cows. This is what he is advising the Finance Minister, in a certain manner. I do not know whether the Finance Minister listens to his advice or not. So, the point here is that it is about organization of agriculture and animal husbandry. It has nothing to do with religion. In fact, Swamy*ji* has taken the name of Mahatma Gandhi. I was stunned that Mr. Swamy took the name of Mahatma Gandhi. He has, in the Statement of Objects and Reasons, said that a law may be enacted to ban the slaughter of all cows as wished

by Mahatma Gandhi as an imperative for free India and to recommend punishment including death penalty as a necessary deterrent. Sir, Mahatma Gandhi is the Father of the Nation. Whether the BJP agrees or not, he is famed as the Father of the Nation. He is a Mahatma. Let us not slurry the name of Mahatma Gandhi. I read and followed Mahatma's writings – Experiments with Truth. I also experiment how to implement Gandhiji and his principles in personal and social life. I am not getting into that debate. But, what I am trying to say is that Mahatma Gandhi, way back in 1924, Mr. Hariprasad may correct me, if I am wrong, somewhere in Belgaum in Karnataka, while he was touring, made it very clear that cow protection was a Hindu faith; you cannot impose such a faith on everybody through law. This is what Mahatma Gandhi had said. And, you are saying to make law in the name of Mahatma Gandhi and impose that on every citizen of this country. What is happening in this country? What do you want to do in this country? Don't you want India to remain one? If this is accepted, it will lead to Aryan and non-Aryan conflicts, I am telling you. Let us not reopen the whole debate on Aryan and non-Aryan conflict. …(Interruptions)… Why is Mr. Swamy not talking about buffalo? In the name of Hindu faith I am asking this. There are people who believe that buffalo is the original animal of India. You are not touching buffalo because buffalo is black. You have made

buffalo as the vehicle of *Yama*, the God of Death. It is because buffalo is black. …(Interruptions)… Yes, this is why I am warning this Government. If this Government goes along with Mr. Swamy's understanding, then, we will get into Aryan and non-Aryan debate. …(Interruptions)…

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: I am sorry, Sir…(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, the Government is not saying anything. …(Interruptions)…

SHRI D. RAJA: Sir, I am cautioning the Government. …(Interruptions)…

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: May I request Mr. Raja to …(Interruptions)…

SHRI D. RAJA: I am not yielding, Sir. …(Interruptions)… I am just making my point. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You proceed, please. …(Interruptions)…

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: Sir, Mr. Raja is misleading the House. …(Interruptions)…

SHRI D. RAJA: I am not misleading. …(Interruptions)… I stand on facts. …(Interruptions)… I stand on facts. …(Interruptions)… I am not misleading. Please do not say that. …(Interruptions)… I never mislead. …(Interruptions)… You may not agree with me, but please do not say that I am misleading. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not misleading. Please sit down. …(Interruptions)…

SHRI D. RAJA: You may not agree with me. …(Interruptions)… You can say that you do not agree with me, but don't say that I am misleading. …(Interruptions)… That's what I am saying. …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You please address the Chair. …(Interruptions)… No; no, Dr. Sahasrabuddhe. …(Interruptions)… Please sit down. …(Interruptions)…

(Contd. by 2g – PK)

PK-PRB/2G/3.40

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Sahasrabuddhe, sit down. ..(Interruptions)..

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: There is nothing like Aryans and Dravidian ….(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Sahasrabuddhe, please sit down. ..(Interruptions)..

SHRI D. RAJA: I am raising that issue. ..(Interruptions)..

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: We are all Indians. ..(Interruptions)..

SHRI D. RAJA: I am raising that issue. ..(Interruptions).. I am raising that issue. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ..(Interruptions)..

SHRI D. RAJA: I am raising that issue. ..(Interruptions)..

DR. VINAY P. SAHASRABUDDHE: We are all Indians. ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Sahasrabuddhe, please sit down. ..(Interruptions)..

SHRI D. RAJA: We are all Indians.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, we are all Indians. Don't go into any other.....(Interruptions)..

SHRI D. RAJA: Sir, I started by saying that.....(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, come to the subject. ...(Interruptions).. Come to the subject. ...(Interruptions)..

SHRI D. RAJA: Sir, I agree with the Chair that we are all Indians. By accepting this Bill, let us not re-open the Aryans-Non-Aryans debate. That is what I am warning. That is what I am cautioning. Let us think as Indians. That is what I am asking. You are dividing the people in the name of cow. Cow does not say that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI D. RAJA: Did cow tell you to divide the people, I am asking you? What is this happening in this country, Sir? You are using cow as a weapon of mass killing. You are using cow as a weapon of mob lynching in this

country. Can we tolerate that? This is what we think about cow! ...(Interruptions).. So, Sir, my simple point is, already this country has suffered and it has been suffering in the name of cow and in the name of beef. The Government cannot dictate what people should eat or what they should not eat. If this Bill is accepted, then, I think we are heading towards a very, very challenging future that will destroy this country, that will disrupt the unity of our society. I appeal to the Government not to accept this position and reject this position. I appeal to all sides of the House not to accept this Bill and reject this Bill in the name of India. (Time-bell) I ask in the name of Mother India to reject this Bill and save this country. That is my appeal, Sir.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Thank you very much. Now, Shri Shankarbhai N. Vegad.

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ (गुजरात): उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। सर, 31 मार्च 2017 को गुजरात राज्य विधान सभा ने राज्य में गाय संरक्षण कानूनों में संशोधन किया है। नए कानून के तहत गौ-हत्या की सज़ा को 7 साल के कारावास से बढ़ाकर आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये तक जुर्माने में बदल दिया गया है। ये संशोधन 1954 के गुजरात पशु संरक्षण कानून के तहत किए गए हैं। इसके अनुसार गौ-हत्या या हत्या के लिए गायों को एक जगह से दूसरी जगह ले

जाना और गौमांस रखना गैर-ज़मानती अपराध हो गया है। इसी तरह जहां हमारे देश में जम्मू-कश्मीर में रघुमति समाज की बस्ती ज्यादा है, वहां पर अभी क्या कानून चल रहा है, यह मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। गुजरात में हालिया संशोधन से पहले जम्मू-कश्मीर जैसे मुस्लिम प्रभुत्व वाले राज्य में गौ-हत्या के खिलाफ सबसे सख्त कानून मौजूद था। कानून 1932 में रणबीर दंड संहिता के तहत लागू किया गया था, जो डोगरा शासक रणबीर सिंह के शासनकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह कानून अब भी जम्मू-कश्मीर में लागू है। कानून के तहत गौ-हत्या एक संगीन और गैर-ज़मानती अपराध है। कानून तोड़ने के जुर्म में दस साल तक की जेल और पशु की कीमत से 5 गुना तक का जुर्माना देना पड़ता है। जम्मू-कश्मीर में गाय की कीमत कई लाख रुपए तक हो गई है।

उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से गाय के जो फायदे होते हैं, उन्हें बताना चाहता हूं। गाय के पालन के दो फायदे होते हैं - अर्थोपार्जन और आरोग्यवर्धन। हमारी भारतीय नस्ल की गायों में गुजरात में गीर गाय पाई जाती है, उसका दूध और उसका गोखल यानी गौ-मूत्र और गोबर बहुत कीमती है।

(2H/GS पर जारी)

PB-GS/2H/3.45

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ (क्रमागत): उसका दूध और गोखल यानी गौमूत्र और गोबर बहुत कीमती है। इस गाय के दूध से एच.आई.वी. पॉजिटिव यानी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं, पूरी दुनिया में कैंसर बीमारी का नाम सुनकर आदमी कांप

जाता है। कैंसर को मिटाने की आज तक भी, इस आधुनिक युग में भी कोई दवा नहीं आ रही है। मैं इस बात का साक्षी हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि गौमूत्र से दूसरी स्टेज का जो कैंसर होता है, वह सही इलाज से, गौमूत्र से निकल जाता है, गौमूत्र से कैंसर मिट जाता है। मेरे पिता जी को कैंसर हुआ था और गौमूत्र से वह ठीक हुआ था, यह बात आज मैं सदन को बताना चाहता हूं।

उपसभापति जी, आज खाद्यान्न एवं सब्जी और अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए, हर किसान फायदा पाने के लिए, केमिकल युक्त फर्टिलाइजर और वीआईटी खाद का इस्तेमाल कर रहा है। इससे होता यह है कि जो हमारी जमीन की उर्वरकता है, वह धीरे-धीरे खत्म हो जाती है और सब्जी तथा अनाज की गुणवत्ता भी बहुत खराब हो जाती है। अलग-अलग रिसर्च में यह पाया गया है कि गौदूध, गोबर और इसकी छाछ तथा पंचगव्य के मिश्रण के छिड़काव से परिपूर्ण और आरोग्य खाद्यान्न और सब्जी मिलती है, जिसको हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं।

उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि गौमूत्र एवं गोबर बहुत कीमती है। मैं दस साल से एक लीटर गुनगुने पानी में 10ml गौमूत्र का अर्क पीता हूं और दोपहर तक कुछ नहीं लेता हूं और आज भी मेरी आयु 76 साल की हो गई है, फिर भी, मुझे आज तक कोई रोग नहीं हुआ है। यह आपके सामने जीता-जागता उदाहरण है। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि गोबर में से साबुन बनाया जाता है, उस साबुन से नहाने पर जिंदगी में कभी भी चमड़ी का रोग नहीं होता है। जो गाय दूध देती है, उसको बेचने पर पैसा मिलता है। जो गाय दूध नहीं देती है, उसको भी यदि कोई

आदमी रखता है, तो उसके गौमूत्र से और गोबर से भी उसको रखने के लिए कीमत मिल जाती है, इसलिए उसको भी गाय रखने का फायदा होता है।

आजकल गाय काटना, काट कर उसका मांस खाना, एक फैशन हो गया है। गाय को पकड़कर बहुत तड़पा-तड़पा कर मारते हैं, इसकी वीडियो आप सभी ने भी यूट्यूब और व्हाट्सऐप पर देखी होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? गाय के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे वेदों में भी लिखा है कि गाय हमारी माता है। क्या वेदों में और शास्त्रों में यह गलत लिखा है? गाय हमारी माता क्यों कही गई थी, क्योंकि वेदों में और शास्त्रों में भी लिखा है कि गाय के शरीर के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है, इसीलिए हमने गाय को माता कहा है। गाय को बचाने के लिए हमारे इतिहास में, हमारे क्षत्रियों ने, राजपूतों ने, राजाओं ने अपना बलिदान दिया है। अगर गाय नहीं बचेगी, तो मेरे हिसाब से हिन्दुस्तान को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। गाय को बचाना ही पड़ेगा।

उपसभापति जी, जिस आंगन में गाय बंधी होती है, उस परिवार में रोग के जंतु का अपने आप नाश हो जाता है। उसकी श्वास में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी रोग के जंतु का नाश कर देती है। यह उसका फायदा है। आज तक मैंने कहीं नहीं सुना है कि गाय रखने वाला कोई आदमी दुखी हो। ...(समय की घंटी)... मुझे यह कहना है कि आजकल कृष्ण भगवान की फोटो के साथ गाय की फोटो लगाई जाती है, क्यों?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ : भगवान के पीछे गाय क्यों रखी जाती है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Vegadji.

श्री शंकरभाई एन. वेगड़: भगवान ने भी उसको मान दिया है, सम्मान दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shankarbhaiji, please conclude. आप कन्क्लूड करिए।

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ : उपसभापति जी, मेरा आपसे एक निवेदन है कि गाय को बचाना चाहिए और गाय का रख-रखाव करना चाहिए और गाय के पेट से पैदा हुआ बछड़ा भी - अभी तो ऑर्गेनिक खेती आ गई है, पहले इसके बच्चे को बैल बनाकर हम खेती करते थे..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right.

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ : इसका अहसान हमारे ऊपर है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. All right.

श्री शंकरभाई एन. वेगड़: मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज भी पूरे विश्व में ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है।

(HMS/2J पर जारी)

SKC-HMS/2J/3.50

श्री शंकरभाई एन0 वेगड़ (क्रमागत) : ऐसा क्यों है? सर, इतिहास गवाह है कि वे हमारे यहां से गाय लेकर गए और उसकी नस्ल का उन्होंने विकास किया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shankarbhai, we have only two hours for the Bill. …(Interruptions)… Okay. That is all. Please sit down.

श्री शंकरभाई एन0 वेगड़ : सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मुझे लगता है कि इसे पूरे सदन की अनुमति है, धन्यवाद। (समाप्त)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Mahesh Poddar. You have got only six minutes, because we have got only two hours for the Bill.

श्री महेश पोद्दार (झारखंड) : उपसभापति महोदय, मैं हमारे वरिष्ठ सदस्य डा0 सुब्रमण्यम स्वामी जी के बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राजीव शुक्ल : उपसभापति जी, अभी जो हमारे मित्र भाषण दे रहे थे, हम उनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं कि गाय का संरक्षण होना चाहिए, गाय को बचाना चाहिए, गाय सब के लिए फायदेमंद है, लेकिन गोवा के मुख्य मंत्री श्री मनोहर पार्रिकर जी को ये सलाह क्यों नहीं देते? वे इन्हीं की पार्टी के हैं...(व्यवधान).. अगर वे इनकी बात को मानें तो अच्छा रहेगा। हम तो इनकी बात से सहमत हैं। ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : शुक्ल जी, बैठिए। Shri Mahesh Poddar is speaking.

डा0 सुब्रमण्यम स्वामी : इन्होंने अपनी पार्टी का symbol गाय-बछड़ा क्यों रखा था? ..(व्यवधान)..

श्री महेश पोद्दार : उपसभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सदस्य साथी, डा0 सुब्रमण्यम स्वामी जी, द्वारा प्रस्तुत गौ संरक्षण विधेयक, 2017 के समर्थन में अपने विचार रखता हूं।

महोदय, भारत के अधिकांश लोग गाय को मां मानते हैं और मैं मेरे पूर्व वक्ता की बात से सहमत हूं कि मां political नहीं होती, मां मां होती है, मां किसी धर्म की नहीं होती है, वह धार्मिक नहीं हो सकती और भारत की गाय, जिस के संबंध में माननीय सदस्य ने अपने बिल में लिखा है, वह न द्रविड़ियन है और न आर्यन है। इसलिए हम लोग उसे द्रविड़ियन और आर्यन के बीच में divide न करें। गाय किसी political party की नहीं है, जब कि एक बड़ी पार्टी का काफी लंबे समय तक गाय symbol हुआ करती

थी। उसके बावजूद उस पार्टी की पहचान गाय से नहीं है और गाय की पहचान किसी भी पार्टी के साथ नहीं है।

महोदय, भारतीय सभ्यता में सृष्टि के विकास के साथ ही मानव और गौवंश का समन्वय रहा है। आरंभ ही से गौवंश, सामाजिक सभ्यता, संस्कृति, जीवन-शैली और अर्थ-व्यवस्था का अविभाज्य हिस्सा रहा है। कृषि, उद्यम, व्यवसाय, संस्कार, कर्मकांड आदि के क्षेत्र में गाय हमारे जीवन से जुड़ी रही है। इसीलिए भारतीय सभ्यता में गाय को माता का दर्ज़ा दिया गया है। गौरक्षा भी आज का विषय नहीं, यह मुद्दा सदियों से हमारी सभ्यता से जुड़ा रहा है और संविधान में भी इस की चर्चा के बावजूद आज इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हमें इस बारे में भी गौर करना चाहिए? आधुनिकीकरण की होड़ में हमने गौवंश का तो अनादर किया है और हम उस के दुष्परिणाम भी भुगत रहे हैं। यह बात सही है कि अधिकाधिक उत्पादन के लिए तकनीकी development आवश्यक है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि लगातार जनसंख्या वृद्धि के बावजूद गौवंश आधारित कृषि अभी भी हमारा पेट भरने में सक्षम साबित हो रही है। इस मौके पर मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस सरकार द्वारा, ग्रामीण कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला वर्ष 2018-19 का बजट दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया है। उस में भी यह उल्लेख है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे alternative income sources को बढ़ावा दिया जाए।

अब प्रश्न यह उठता है कि माननीय सदस्य डा0 सुब्रमण्यम स्वामी जी को यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? महोदय, मैं समझता हूं कि दरअसल भारतवर्ष पर बाहरी आक्रमणों और उस के बाद हुए विदेशी शासन ने भारत की पवित्र

भूमि पर गौवध की अस्वीकार्य परंपरा की नींव डाली। इस परंपरा के, भारतीय मानस के प्रतिकूल होने के कारण, चरणबद्ध सामूहिक विरोध और विद्रोह की शुरुआत हुई, जोकि आज भी जारी है। आज भी भारत का मानस गौ हत्या के पक्ष में नहीं है। भारतवर्ष में गौरक्षा का सवाल सैकड़ों वर्ष पुराना है और इस का सीधा संबंध भारत की सभ्यता से है। महोदय, जब कभी इस भावना को चोट पहुंचती है, तो इस का विरोध होता है।

(2 के/एएससी पर जारी)

ASC- HK/2K / 3.55

श्री महेश पोद्दार (क्रमागत) : आंदोलन होता है। गौरक्षा के बलिदान और जान की बाज़ी लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। भारत में गौवध की शुरुआत गुलामी के साथ हुई और आप भारतीय इतिहास में देखेंगे कि अंग्रेजों के समय में भी गौवध, गौमांस और गौचरबी के कारण जो हमारा पहला विद्रोह हुआ था, उसका कारण भी यही बना था।

महोदय, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस्लामिक राजाओं ने भी अपने शासन क्षेत्र में गौवध पर प्रतिबंध लगाया था। 1750 से अंग्रेजों ने गौवध करना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेज अपने आहार के लिए गौमांस का उपयोग करते थे। यह जानकारी जैसे-जैसे लोगों तक पहुंची, तो उसका विरोध होने लगा और सिपाही विद्रोह के रूप में एक विस्फोट हुआ। नामधारी पंथ के लोगों ने गौरक्षा के लिए 1860 के आसपास हथियार उठा लिए। यह विद्रोह दस सालों तक चला और धीरे-धीरे यह देशव्यापी हुआ। वर्ष 1882 में स्वामी दयानन्द सरस्वती की गौरक्षणी सभा की स्थापना के बाद भारत में गौरक्षा आंदोलन एक बार फिर शुरू हुआ।

महोदय, दक्षिण भारत के संन्यासी श्रीमद् स्वामी और दयानन्द सरस्वती....(समय की घंटी)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MAHESH PODDAR: Sir, I am concluding in two minutes. ...(Interruptions)...

स्वामी दयानन्द सरस्वती का नेतृत्व पाकर देश भर में गौरक्षणी सभाएं बनीं। आंदोलन को दिशा देने के लिए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने एक लाख हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश संसद को देने की घोषणा की और उस आंदोलन में कांग्रेस नेता पंडित मदन मोहन मालवीय भी शामिल हुए। महोदय, इतना ही नहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 21 सितम्बर, 1966 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखा कि मैं समझ नहीं पाता कि भारत जैसे हिन्दू बहुल देश में जहां गलत हो या सही ....(समय की घंटी)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Time over, time over.

श्री महेश पोद्दार: बस हो गया, सर।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, sit down. ...(Interruptions).. Nothing more will go on record. Now Shri Meghraj Jain; you have only five minutes.

श्री महेश पोद्दार: *

(समाप्त)

श्री मेघराज जैन (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो प्रस्ताव रखा है और इसके प्रारम्भिक भाषण में जो उल्लेख किया कि प्रारम्भ में सभी

धर्मों के लोगों ने अंग्रेजों से पहले मुगल शासकों ने भी गौरक्षा के लिए काम किया है, इसमें कोई जाति, धर्म की बात नहीं है।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, who will reply to this debate?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister will reply. Why do you worry?

*** Not recorded**

SHRI JAIRAM RAMESH: Which Minister? …(Interruptions)…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You will see at that time. मेघराज जी, आप बोलिए।

श्री मेघराज जैन : महोदय, यह कोई धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। मैं मध्य प्रदेश में सात साल तक गौसंरक्षण बोर्ड का अध्यक्ष रहा हूं। मैं यहां केवल उसके आर्थिक पक्ष रखना चाहता हूं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एक ऐसी वैज्ञानिक जांच करवाई जाए कि क्या वास्तव में गौदुग्ध में और बाकी दुग्ध में अंतर है? क्या गौमूत्र में गोबर में और बाकी जानवरों के गोबर व गौमूत्र में अंतर है, क्योंकि आयुर्वेद में इसका उल्लेख है। केवल गौमूत्र ही नहीं अनेक जानवरों के मूत्र का भी आयुर्वेद में उल्लेख है। गाय के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि गाय एक आर्थिक दृष्टि से हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान के पास गाय रहती है। गाय का वेस्टेज खेत खाए, खेत का वेस्टेज गाय खाए और गोबर व गौमूत्र का उपयोग खेत में हो, तो रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोधपुर विश्विद्यालय में इसके ऊपर शोध हुआ कि हमारे लोग बीमार क्यों हो

रहे हैं, तो छ: - सात साल पहले इसकी रिपोर्ट एक पत्रिका में छपी थी। उसमें लिखा था हमारे यहां जितना अनाज है, सब्जियां हैं और दूध है, सभी के अंदर ज़हर आ गया है। इसी कारण से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और बीमारियां हो रही हैं। नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में AIIMS के डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट छपी थी। उसमें लिखा था कि AIIMS के डॉक्टर्स हरियाणा में गए थे और वहां पर कुछ लोगों से बात की तो वहां के लड़कों ने कहा कि हमसे बात मत करिए, आप हमारे से बड़े लोगों से बात करिए। उन डॉक्टर्स ने कहा कि आप लोग भी तो बड़े हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हम तो 18 साल के हैं। डॉक्टर्स को आश्चर्य हुआ कि आप 18 साल के लड़के बुजुर्ग जैसे दिखते हैं। बाद में डॉक्टर्स ने इस पर शोध किया, तो पता चला कि रासायनिक खाद के अनाज खाने से उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी।

(2L/LP पर जारी)